BCCI BULLETIN

Vol. 54 | JANUARY 2023 | No. - 1

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

जीएसटी ग्रिवांस रिड्रेसल कमिटी की बैठक में चैम्बर शामिल हुआ

जीएसटी ग्रिवांस रिड्रेसल कमिटी की बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर के जीएसटी सब कमिटी के संयोजक श्री आलोक पोद्दार एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश खेतान (बाँयीं तरफ)।

केन्द्रीय माल सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, राँची जोन की ओर से पटना के राजस्व भवन एनेक्सी में दिनांक 4 जनवरी, 2023 को **GST Grievance Redressal Committee** की बैठक हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल जी.एस.टी. उप समिति के संयोजक श्री आलोक पोद्दार एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश खेतान सम्मिलित हुए।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल द्वारा राष्ट्रध्वज फहरा कर 74वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

बढ़ेगा वर्ष 2023-24 का बजट आकार, योजना से अधिक स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में होगा प्रावधान

2.60 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है बजट आकार

वित्त विभाग में अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी अंतिम चरण में है। बजट शाखा के अधिकारी और कर्मचारी जोड़-घटाव में लगे हुए हैं।

कहाँ से कितनी राशि आएगी और कहाँ कितना खर्च होगा इसकी गणना में लगे हुए हैं। महागठबंधन सरकार के फोकस एरिया को देखते हुए बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष का बजट आकार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में काफी बड़ा होने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष का बजट आकार 2.37 लाख करोड़ है। जो वर्ष 2021-22 की तुलना में 10% अधिक है। अगले वित्तीय वर्ष के बजट आकार में 10-15% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर बजट आकार में 10% बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर करीब 2.60 लाख करोड़ और यदि 15% की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 2.72 लाख करोड़ होने की संभावना है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में व्यय 1.37 लाख करोड़ से बढ़कर 1.60 से 1.70 लाख करोड़ तक हो सकती है। बजट में रोजगार के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर मुख्य फोकस रहेगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 18.1.2023)**

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2023–24 का आम बजट 1 फरवरी, 2023 को पेश करेंगी। व्यवसायी वर्ग को इस बजट से काफी आशाएं हैं। परन्तु इस बजट में किसे क्या मिलता है, एक फरवरी, 2023 को ही पता चलेगा।

नयी बजट में जीएसटी के प्रावधानों के सरलीकरण की आवश्यकता है क्योंकि अभी भी व्यवसायियों को जीएसटी फाइल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी समस्या टैक्स कम्प्लायंस को करने से संबंधित है। क्वाटरली या हर महीने की जाने वाली औपचारिकताओं की वजह से व्यवसायियों का समय बर्बाद होता है। उम्मीद यह भी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र की नीति की तर्ज पर बिहार के लिए एक पॉलिसी पैकेज की घोषणा हो। आयकर छूट की सीमा कम से कम 5 लाख करते हुए आयकर स्लेब की सीमा को तर्क संगत बनाया जायेगा।

चैम्बर द्वारा माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री को बजट पूर्व ज्ञापन विचारार्थ भेजा गया है जिसमें कई सुझाव भी दिये गये है। 1 फरवरी, 2023 को सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

बियाडा (BIADA) की ओर से अकार्यरत इकाईयों की भूमि हस्तांतरण का निर्णय लिया गया है। चैम्बर की ओर से इस निर्णय का स्वागत् करते हुए प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से अनुरोध किया गया है कि :–

- **इसकी समयावधि बढ़ाई जाये**
- **हस्तांतरण शुल्क बियाडा की वर्त्तमान कीमत या MVR जो भी इसमें कम हो, उसी के आधार पर निर्धारित किया जाये**
- **हस्तांतरण शुल्क के लिए निर्धारित 10%, 20%, एवं 25% को कम किया जाये**
- **इकाईयों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिए पुराने उत्पाद हेतु 6 माह एवं नये उत्पाद हेतु 12 महीने का समय निर्धारित किया गया है। इस समय सीमा को बढ़ाना चाहिए तथा कोई इकाई निर्धारित समयावधि में अपना उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पाते हैं और उसके लिए अपना उचित कारण बताते हैं तो वैसे इकाईयों पर विचार करते हुए कुछ और समय देने पर विचार किया जाना चाहिए।**

राज्य में बिजली कम्पनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) को जो Petition समर्पित किया है उसमें वर्ष 2023–24 के लिए सभी श्रेणी में Fix Charge में 100% से भी अधिक एवं प्रति युनिट चार्ज में करीब 42% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है **जो राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के लिए काफी चिंता का विषय है।**

इसकी जन–सुनवाई BERC की ओर से अरवल में दिनांक 24.01.2023 को, पूर्णिया में 21.02.2023 को, पश्चिम चम्पारण के बाल्मिकी नगर में 17.02.2023 को तथा पटना में 27.02.2023 एवं 28.02.2023 को निर्धारित की गयी है। आपसे अनुरोध है कि अपनी ओर से पूरी कोशिश करें ताकि बिजली दरों में वृद्धि न हो।

चैम्बर द्वारा बराबर राज्य सरकार से मांग की जा रही थी कि सामग्रियों के क्रय हेतु निर्गत की जाने वाली निविदा में Brnad/Company के नाम का उल्लेख नहीं किया जाये।

उक्त आलोक में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार ने अपने पत्रांक 116 दिनांक 04 जनवरी, 2023 के द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया है कि निविदा में BRAND/ COMPANY के नाम का उल्लेख नहीं किया जाये। संबंधित पत्र सदस्यों की सूचनार्थ इस बुलेटीन में प्रकाशित है।

हमारे लिए खुशी की बात है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा देश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर दिनांक 27 जनवरी, 2023 को आयोजित होने वाले डिस्ट्रिक्ट आउटरीच कार्यक्रम "निधि आपके निकट 2.0" का प्रारंभ EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण से किया। संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटीन में आपकी सूचनार्थ प्रकाशित है।

केन्द्रीय माल सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क, राँची जोन, पटना की ओर से पटना के राजस्व भवन एनेक्सी में दिनांक 4 जनवरी, 2023 को GST Grievance Redressal Committee की बैठक हुई। **चैम्बर की ओर से इस बैठक में मैं, जीएसटी उप समिति के संयोजक श्री आलोक पोद्दार एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश खेतान सम्मिलित हुए।**

श्री विवेक सिंह, भा.प्र.से., विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) की 45वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2023 को बिहार विकास मिशन, पटना के सभागार में हुई। **उक्त बैठक में चैम्बर की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर एवं श्री अजय कुमार गुप्ता शामिल हुए।**

सादर,

आपका
पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष

कंपनियों को बड़े खुदरा पैकेज पर देनी होंगी जरूरी सूचनाएँ

आम उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बाजार में आ रहे बड़े खुदरा पैकेजों पर पूरी सूचनाओं को पेश करने के लिए मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है। इसके तहत एक से अधिक पैकेट वाले खुदरा पैकेज के ऊपर एमआरपी सहित सभी अनिवार्य घोषणाओं का उल्लेख करना जरूरी हो गया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, ऐसा देखा गया है कि एक से ज्यादा खुदरा पैकेट वाले खुदरा पैकेज पर जरूरी सूचनाएँ नहीं दी जाती हैं। इन पैकेज में उपहार एवं कई इकाइयों वाले उत्पाद भी शामिल हैं। अब पैकेज के भीतर मौजूद इकाइयों पर अलग से भी सभी जरूरी सूचनाएँ प्रकाशित करनी अनिवार्य हैं। एक इकाई के बिक्री मूल्य का उल्लेख पैकेज पर होना चाहिए। निर्देश एक फरवरी से लागू होगा।

पैकेज पर इन सूचनाओं को देना हुआ जरूरी : उपभोक्ता मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, खुदरा पैकेज के बाहरी हिस्से पर विनिर्माता, पैक करने वाले और आयातकों का नाम और पता और साथ ही आयातित उत्पादों के मूल देश, शुद्ध मात्रा, निर्माण/ पैक/ आयात का महीना और वर्ष, बेहतर उपयोग योग्य तारीख और उपभोक्ता देखभाल विवरण देने अनिवार्य हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 31.1.2023)

चैम्बर अध्यक्ष द्वारा बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा आयोजित चार दिवसीय Trade Expo-2023 का उद्घाटन

दीप प्रज्ज्वलित कर एक्सपो का उद्घाटन करते माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजय कुमार अग्रवाल एवं अन्य।

शॉल एवं मेमेन्टो से चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को सम्मानित करते बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री संदीप सराफ।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा **Trade Expo-2023** का उद्घाटन दिनांक 6 जनवरी, 2023 को हुआ। यह एक्सपो स्थानीय न्यू पटना क्लब में दिनांक 6-9 जनवरी, 2023 तक आयोजित था।

इस ट्रेड एक्सपो का माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री समीर कुमार महासेठ, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अगग्राल एवं अन्य द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन का यह एक्सपो इलेक्ट्रिक व्यवसाय से जुड़े उद्यमी एवं व्यवसायी के हित में काफी उपयोगी सिद्ध होगा। बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन का यह प्रयास काफी सराहनीय है।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष को शॉल एवं प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

इथायल अल्कोहल को टैक्स के दायरे में लाया गया

बिहार में वाणिज्य-कर के दायरे में बढ़ोतरी हो गयी है। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य-कर विभाग की 29 जून 2017 को जारी अधिसूचना में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी कर दी गई। इसका बिहार गजट में प्रकाशन भी कर दिया गया।

बिहार गजट के अनुसार इथायल अल्कोहल जो कि मोटर स्पीरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो, उसे टैक्स के दायरे में शामिल किया गया है।

इसमें चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं, धान या फलीदार पौधों के पोषण या अन्य कार्य से उत्पन्न हो (जलीय फीड समेत झींगा फीड, पोल्ट्री फीड, पशु फीड सहित घास या घास और पुआल, पूरक या योजक चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र, गेहूँ की भूसी, डी-आइल केक से भिन्न) शामिल किए गए हैं। इसमें फलों के पल्प या फलों के रस आधारित पेय, मैथेमेटिकल बॉक्सेज, ज्योमेट्री बॉक्सेज और कलर बॉक्सेज, किसी भी सांद्रता के इथायल अल्कोहल और अन्य स्पिरिटस, डेनचर्ड इत्यादि भी शामिल किए गए हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.1.2023)

चैम्बर अध्यक्ष ने किया जीएम एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस शोरूम का उद्घाटन

देश की सुप्रसिद्ध बिजली सामानों के ब्रांड जीएम कम्पनी ने जमाल रोड, पटना के एंबीशन बिजनेस सेंटर में दिनांक 8 जनवरी, 2023 को बिहार का पहला एक्सपीरियंस शोरूम खोला।

इस शोरूम का उद्घाटन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अगव्राल ने किया।

उक्त अवसर पर जीएम कम्पनी के डायरेक्टर श्री राजेश शर्मा, कम्पनी के सीएनएफ श्री रमेश अग्रवाल एवं श्री केशव अग्रवाल, श्री सत्य नारायण अग्रवाल तथा श्री दिनेश शतलानी उपस्थित थे।

इस शोरूम में जीएम कम्पनी के सभी उत्पाद प्रदर्शित किये गये हैं। कोई व्यक्ति जीएम उत्पादों की जानकारी ले सकता है तथा अपनी पसन्द का उत्पाद चयन कर सकता है।

जीएम एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस शोरूम का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर जीएम कम्पनी के डायरेक्टर श्री राजेश शर्मा। बाँयीं ओर क्रमशः श्री सत्यनारायण अग्रवाल, जीएम कम्पनी के सीएनएफ श्री रमेश अग्रवाल एवं अन्य।

बचत खाते और बचत योजनाओं को लेकर
डाक विभाग हुआ सख्त, खाताधारकों को दिये कई निर्देश

मैच्योरिटी के बाद नहीं निकाली राशि, तो खाता होगा फ्रीज

डाकघर के बचत खाते और विभिन्न बचत योजना में मैच्योरिटी होने के बाद तीन साल के अंदर खाताधारक ने राशि नहीं निकाली, तो उनका खाता स्वतः फ्रीज हो जायेगा। इसके बाद संबंधित डाकघर से भुगतान नहीं होगा, बल्कि मुख्यालय से आदेश लेना होगा और खाताधारकों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 10.1.2023)

सीएम उद्यमी योजना : कम्प्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन/लॉटरी सिस्टम से हुआ चयन

बिहार को मिले 7877 नये उद्यमी

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की चार श्रेणियों मसलन अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और युवा उद्यमी योजना में 7877 नये उद्यमी मिले। योजना में 2.23 लाख से अधिक आवेदन आये। 7877 लाभार्थियों का चयन कम्प्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन/लॉटरी सिस्टम से हुआ। चयन की औपचारिक शुरूआत प्रदेश के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने की। इस दौरान उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक और विशेष सचिव दिलीप कुमार व तकनीकी विकास निदेशक संजीव कुमार मौजद रहे।

सीएम उद्यमी योजना से बिहार की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। हमारी जीडीपी में ठोस बढ़ोतरी होगी। विभाग अपने नये उद्यमियों को सभी तरह की मदद करेगा। महासेठ ने कहा कि बैंकों को भी विश्वास में लेकर अधिक से अधिक लोन दिलाये जायेंगे। ताकि बिहार में ही रह कर वह स्वरोजगार करें। कम्प्युटरीकृत रेंडमनाइजेशन पद्धति से 5000 उन लाभार्थियों का चयन किया गया, जिन्होंने पूर्व निर्धारित 51 ट्रेंडों में अपनी जमीन पर ही यूनिट लगाने के लिए आवेदन किये थे। दो हजार अन्य लाभुकों का चयन टेक्सटाइल, लैदर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए किया है। शेष 877 लाभुकों का चयन बियाडा के आर्वाटित इंडस्ट्रियल प्लग एण्ड प्ले शेड्स में काम करने के लिए किया गया है।

सबसे अधिक लाभार्थी पटना के : मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पटना जिले के सर्वाधिक 373 लाभार्थियों का चयन हुआ है। अरवल में सबसे कम 49 लाार्थियों का चयन हुआ है। टेक्सटाइल, लेदर व फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की योजनाओं में इन कैटेगरी में बराबर-बराबर 485-485 लोगों का चयन किया गया है। बिहार के सभी जिलों में 210 दिव्यांग उद्यमियों का भी चयन किया गया है। दिव्यांग उद्यमियों की कैटेगरी पहली बार जोड़ी गयी है।

(साभार : प्रभात खबर, 4.1.2023)

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हो रहे बड़े प्रयास

नेशनल स्टार्ट अप डे : बिहार विद्यापीठ में समारोह के उद्घाटन में बोले उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ

प्रदेश के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्यमिता को बढ़ावा दे कर रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा प्रयास कर रही है। इसी वित्तीय वर्ष में इसके लिए वित्तीय प्रावधान कर दिये गये हैं। बिहार सरकार युवाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में कई स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके सकारात्मक प्रयास जल्दी ही सामने आयेंगे। उन्होंने यह बात को देशरत्न भवन के सभागार में बिहार विद्यापीठ स्थित इन्क्यूबेशन सेंटर में स्टार्ट अप डे समारोह में कही।

उन्होंने कहा कि उद्यमी तैयार करने में अटल इन्क्यूबेशन सेंटर की अहम भूमिका है। एआइसी-बिहार विद्यापीठ नीति आयोग की तरफ से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार में स्थापित एकमात्र संस्थान है।

कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण में एआइसी बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष सह सीइओ विजय प्रकाश ने कहा कि कृषि और वाणिज्य से संबंधित कार्यों को उद्योग सदृश मिलने वाली सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बिहार में वाणिज्य निदेशालय भी खोला जाना चाहिए।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 17.1.2023)

बिहार में छोटे उद्योग खोलना अब और होगा आसान

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित छोटे-छोटे उद्योग खोलने में अब आसानी होगी। इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु चलायी जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमइ) के तहत कारोबार शुरू करने वालों को अनुदान और वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने अगले तीन साल की रणनीति बनायी है। इस योजना में 469 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी दे दी गयी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पहले यह योजना कृषि विभाग की तरफ से चलायी जाती थी। इस साल से यह योजना उद्योग विभाग संचालित कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 191 नयी परियोजनाओं के लिए बैंक से लोन की मंजूरी करायी जा चुकी है। इसके लिए 75 करोड रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

जानकारी हो कि पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 20 लोग ही इस योजना का फायदा उठा सके थे। जानकारी के मुताबिक पीएम सूक्ष्म खाद्य और उन्नत योजना के तहत जीविका स्वयं सहायता समूह के 1674 लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न जरूरतों के लिए 6 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गयी है।

चैम्बर अध्यक्ष ने एबको के एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया

देश की सुप्रसिद्ध कम्पनी एबको ने दिनांक 22 जनवरी, 2023 को पटना के जमाल रोड में तारा इन्टरप्राइजेज स्टोर प्रारम्भ किया। एबको के इस एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने फीता काट कर किया।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि शहरों में छोटे फ्लैट में रहने वालों को कई तरह की समस्या होती है। इस स्टोर के खुलने से लोग अधिक से अधिक सामान यथा - सोफा, पलंग, आलमीरा, आयरन टेबुल, डाइनिंग टेबुल आदि कैसे व्यवस्थित रखें, की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शो रूम में लोगों को सामानों का उपयोग करके दिखाया जायेगा। इससे लोग अनावश्यक सामान खरीदने से बचेंगे।

उक्त अवसर पर तारा इन्टरप्राइजेज स्टोर के श्री बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री संयम अग्रवाल, श्री विनम्र अग्रवाल एवं श्री नमन अग्रवाल ने लोगों को विभिन्न सामानों की जानकारी दी।

देश के सुप्रसिद्ध एबको के एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

2022 में 113 नयी औद्योगिक यूनिटों ने शुरू किया काम : बियाडा औद्योगिक क्षेत्रों में 2022 में 113 नयी औद्योगिक युनिटों ने काम शुरू किया है। अब तक नयी 129 नयी यूनिटों को बियाडा ने जमीन आवंटित कर दी है। यह प्रक्रिया लगातार जारी है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने यह जानकारी अपने आफिशियल ट्वीटर हैंडल पर साझा की है। साथ ही यह जानकारी भी दी है कि इस साल ऐसी 718 यूनिटों का जमीन आवंटन रद्द किया है। जिन्होंने केवल नाम के लिए बियाडा में जमीन आवंटित करायी थी। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 2.1.23)**

हस्तकरघा क्लस्टर के 10 नए प्रस्तावों को मंजूरी

• पहली बार योजनात्मक तरीके से हो रही पहल • बुनकरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा

उद्योग विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के विभिन्न घटकों के तहत 17 हस्तकरघा क्लस्टर, 16 आउटसाइड क्लस्टर, 34 एक्सपो, 31 कॉमन वर्कशेड, चार स्पेशल प्रोजेक्ट एवं कंबल बुनकरों के लिए दो सीएफसी निर्माण हेतु कुल 114 करोड़ 74 लाख 77 हजार रुपये का प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया है। इसमें अबतक 10 हस्तकरघा क्लस्टर के विकास के लिए केन्द्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी है। इनके अतिरिक्त केन्द्र ने चार आउटसाइउ क्लस्टर और 5 एक्सपो का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने हस्तकरघा के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए इन प्रस्तावों को भेजा था। शेष प्रस्तावों पर मंजूरी की कार्रवाई प्रक्रिया में है। इन्हें जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। पहली बार वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार के माध्यम से क्लस्टर सुदृढ़ीकरण योजना के तहत प्रस्ताव भेजकर केन्द सरकार से 8 करोड़ 23 लाख रुपये की स्वीकृति करायी गयी थी। इसमें प्रथम चरण की राशि चार करोड़ 73 लाख रुपये केन्द्र सरकार द्वारा जारी भी कर दी गयी है। इससे विभिन्न क्लस्टों का सुदृढ़ीकरण हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार द्वारा कराया जा रहा है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.1.2023)**

उद्यमियों के लिए को-वर्किंग प्लेस का किराया हुआ तय

राजधानी में स्टॉर्टअप से जुड़े नए उद्यमियों के लिए को-वर्किंग प्लेस (संयुक्त जगह) बहुत ही कम किराये पर उपलब्ध है। पटना के मौर्यालोक के ब्लॉक ए और फ्रेजर रोड में महज 100 रुपये से 1500 रुपये के बीच किराया देकर स्टॉर्टअप उद्यमी काम कर सकते हैं।

बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह विशेष सचिव दिलीप कुमार ने कहा कि चार-पाँच दिन के लिए 100 रुपये रोज की दर से किराया लगेगा। 1000 रुपये प्रति माह को बैठने की जगह निर्धारित नहीं रहेगी। वहीं 1500 वाले उद्यमियों को बैठने व काम करने का निर्धारित स्थान तय रहेगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 12.1.2023)**

जिले में 3 बड़े प्रोजेक्ट के लिए होगा 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण

पटना जिले में तीन बड़ी परियोजनाओं के लिए 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इसमें बिहटा के परेव में आईओसीएल के लिए 50 एकड़, फतुहा में फूड लॉजिस्टिक पार्क के लिए 100 एकड़ और कन्हौली में बस स्टैंड के लिए 50 एकड़ जमीन शामिल है। जिला प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को जमीन चिह्नित कर भेजा गया है। अधियाचना मिलने पर अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी।

कन्हौली बस स्टैंड के लिए शेरपुर-दीघवारा रोड के कन्हौली में मिलने वाले प्वाइंट से पश्चिम तरफ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यह जमीन पहले पूरब की ओर चिह्नित किया गया था। पूरब की तरफ कब्रिस्तान, 35 मकान आदि बने हुए हैं जबकि पश्चिम तरफ ग्रीन फील्ड है। इस कारण पश्चिम तरफ की 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी चल रही है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 18.1.2023)

उद्योगों के मॉडल प्रोजेक्ट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे

बिहार में लाभुकों की सुविधा के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मॉडल प्रोजेक्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएँगे। उद्योग विभाग ने निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण और जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत लाभुकों की सुविधा के लिए कुछ मॉडल प्रोजेक्ट बनाया जाए और उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह मॉडल प्रोजेक्ट पीएमएफएमई के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएँगे ताकि इस योजना के तहत ऋण की सुविधा प्राप्त करने वाले आवेदकों को सही-सही फॉर्म भरकर आवेदन करने में सुविधा हो। राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक 248 आवेदकों को इस योजना के तहत बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

चैम्बर के प्रतिनिधि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की 45वीं बैठक में शामिल हुए

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक की अध्यक्षता करते श्री विवेक कुमार सिंह, भा.प्र.से. विकास आयुक्त तथा चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर एवं श्री अजय गुप्ता एवं अन्य।

श्री विवेक कुमार सिंह, भा.प्र.से. विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की 45वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2023 को बिहार विकास मिशन, पटना के सभागार में हुई। बैठक में बिहार चैम्बर की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर एवं श्री अजय कुमार गुप्ता सम्मिलित हुए।

ऋण स्वीकृति के पूर्व व बाद में प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं : बताया गया कि योजना की समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि इसके तरह ऋण की स्वीकृति के बाद और ऋण वितरण से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। इस योजना के किसी लाभुकों को ऋण की मंजूरी दिए जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

शीघ्रता से भुगतान करने का निर्देश दिया गया : पीएमएफएमई के तहत बैंकों से ऋण की मंजूरी मिलने के बाद जिला संसाधन सेवी को भुगतान कर महाप्रबंधक को भी सूचित किया जाएगा। उद्योग विभाग के अनुसार जिन मामलों में बैंकों से ऋण की स्वीकृति हो चुकी है, उन मामलों के जिला संसाधन सेवी को शीघ्रता से भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि उनका लगाव आगे भी कार्य को तेजी से निबटाने को लेकर बना रहे। इसके अतिरिक्त जिला संसाधन सेवी को स्वीकृत एवं भुगतान किए गए मानदेय की सूचना संबंधित जिला महाप्रबंधक की भी दी जाए।

"पीएमएफमई के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को उद्योगों के लिए बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी लाने की पहल उद्योग विभाग की ओर से की गयी है।"

– संदीप पौण्डरीक, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.1.2023)

सोलर इनर्जी कॉरपोरेशन देगा 600 मेगावाट बिजली

सोलर इनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) बिहार को 600 मेगावाट बिजली देगा। इसके लिए उसने बिहार के साथ करार किया है। वर्ष 2024 से यह बिजली बिहार को मिलने लगेगी। सेकी ने बीएसपीएचसीएल के पावर मैनेजमेंट सेल (पीएमसी) के बीच 600 मेगावाट बिजली खरीद का एमओयू पर हस्ताक्षर किया।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.1.2023)

बिहार की सड़क मरम्मत नीति अपनाएगा ओडिशा

बिहार की सड़कों की मरम्मत नीति को ओडिशा सरकार अपनाएगी। ओडिशा के पदाधिकारियों की टीम पटना आई थी। टीम ने यहाँ के कार्यों की सराहना की और इसे अनुकरणीय भी बताया।

2013 से राज्य में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू हुई थी : ओपीआरएमसी (दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ अस्तियाँ अनुरक्षण संविदा प्रणाली) में अभी 13064 किमी सड़कें हैं जिनके सात वर्ष के मेंटेनेंस पर 6655 करोड़ रुपए खर्च होना है। पथ निर्माण विभाग ने वर्ष 2013 से राज्य में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की। इस नीति में इनपुट आधारित टेंडर की जगह आउटपुट आधारित टेंडर प्रणाली (लाँग टर्म) विकसित हुई। 5 से 9 वर्ष तक सड़क को दुरुस्त रखने के लिए एजेसियों को काम सौंप दिया जाता है और उन्हें भुगतान होता रहता है। इस प्रणाली में चयनित एजेंसी के इंजीनियर और कर्मी रोड एंबुलेंस के माध्यम से लगातार सड़कों को ठीक करते रहते हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.1.2023)

अप्रैल तक 3 ग्रिड उपकेन्द्र होंगे चालू, 448 मेगावाट बढ़ेगी क्षमता

दीघा ग्रिड उपकेन्द्र अप्रैल में होगा चालू : दीघा में 220/132/33 केवी का नया ग्रिड बनाने का कार्य चल रहा है। इसकी लागत करीब 110 करोड़ होगी। इसमें 80-80 एमवीए का दो पावर ट्रांसफॉर्मर लगेगा। इससे 128 मेगावाट बिजली की सप्लाई क्षमता होगी। इस ग्रिड को दक्षिण बिहार के साथ उत्तर बिहार से बिजली सप्लाई मिलेगी। इसको अप्रैल तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

बोर्ड कॉलोनी ग्रिड अप्रैल में होगा चालू

बोर्ड कॉलोनी 132/33 केवी का नया ग्रिड बनाने का काम चल रहा है। इसकी लागत करीब 60 करोड़ है। इसमें 80-80 एमवीए का दो पावर ट्रांसफॉर्मर लगाया जा रहा है। इससे भी 128 मेगावाट बिजली सप्लाई होगी। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर बिहार से दीघा पहुँचने वाली 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन को 132 केवी में कन्वर्ट कर बोर्ड कॉलोनी ग्रिड को सप्लाई दी जाएगी। दीघा से बोर्ड कॉलोनी तक अंडरग्राउंड लाइन के लिए 6.5 किमी का डेडिकेटड डक्ट बनाया जा रहा है। ताकि, किसी भी परिस्थिति में बिजली सप्लाई बाधित नहीं हो सके।

मीठापुर ग्रिड उपकेंद्र अप्रैल में होगा चालू : मीठापुर बस स्टैंड के पीछे पुराने ग्रिड उपकेन्द्र का स्थानांतरण बाइपास के दक्षिण किया जा रहा है। यह 132/33 केवी का नया ग्रिड होगा। इसमें 80-80-80 एमवीए का तीन पावर ट्रांसफॉर्मर लगाया जा रहा है। इससे 192 मेगावाट बिजली सप्लाई होगी। पुराने ग्रिड की सप्लाई क्षमता 128 मेगावाट थी। यानी 80-80 एमवीए का दो पावर ट्रांसफॉर्मर लगा था।

क्या होगा फायदा : बिजली कम्पनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक तीनों ग्रीड उपकेन्द्र चालू होने के बाद पावर सब स्टेशनों को दो से तीन सोर्स से जोड़ा जाएगा। इसका सीधा फायदा विश्वसनीय पावर के साथ क्वालिटी बिजली मिलेगी यानि फ्लैक्चुएशन, ट्रिपिंग, लो-वोल्टेज, हाई-वोल्टेज, बिजली कट से निजाद मिलेगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 4.1.2023)

ईपीएफओ ने 'निधि आपके निकट 2.0' कार्यक्रम का शुभारम्भ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से किया

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (बिहार झारखंड) श्री संजय कुमार का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल। साथ में हैं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 श्री एम. एस. आर्या एवं चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 श्री एम. एस. आर्या का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। साथ में हैं अपर मुख्य केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (बिहार झारखंड) श्री संजय कुमार।

कार्यक्रम में पधारे चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण एवं विभिन्न संगठनों से पधारे उनके प्रतिनिधिगण।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा पूरे देश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर दिनांक 27 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले डिस्ट्रिक्ट आउटरीच कार्यक्रम **'निधि आपके निकट 2.0'** का प्रारम्भ ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण से किया।

चैम्बर के कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का यह पहल काफी प्रशंसनीय है, इससे नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों की समस्याओं को बहुत हद तक दूर करने में सफलता मिलेगी।

इस अवसर पर बिहार एवं झारखंड के अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री संजय कुमार ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) **'निधि आपके निकट 2.0'** कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज ही वर्चुअल माध्यम से केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने किया है और हमलोग इसकी शुरूआत चैम्बर से कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस कार्यक्रम में ईपीएफओ के सदस्यों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जायेगा और यदि किसी समस्या का उसी समय हल नहीं मिल पाता है, तो उसे ईपीएफओ के शिकायत पोर्टल पर दर्ज कर प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान किया जायेगा।

'निधि आपके निकट 2.0' 27 जनवरी 2023 से शुरू होकर हर महीने की 27 तारीख को संचालित किया जाएगा। यदि किसी माह की 27 तारीख को अवकाश होता है तो इसे अगले कार्य दिवस पर आयोजित किया जायेगा। कार्यक्रम में अजीत कुमार, ओमकार नाथ, आर. एन. ठाकुर, आशीष प्रसाद, रंधीर सिंह एवं चैम्बर के श्रम उप समिति के संयोजक सुधि रंजन ने ईपीएफओ से संबंधित मुद्दों पर अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया।

इस अवसर पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 श्री एम. एस. आर्या, श्री तथागत चक्रवर्ती, श्री चन्द्रमोहन चौधरी, रवि कुमार, संजय कुमार तथा चैम्बर की ओर से सुभाष कुमार पटवारी, पशुपति नाथ पाण्डेय, सुबोध जैन, राकेश कुमार, आशीष प्रसाद, अजय गुप्ता के साथ-साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिगण सम्मिलित हुए। धन्यवाद ज्ञापन श्रम उप-समिति के संयोजक श्री सुधि रंजन ने किया।

सभी दुकानों में डस्टबिन अनिवार्य, नहीं तो जुर्माना

शहर को सुंदर बनाए रखने एवं कचरे का समुचित निष्पादन करने के लिए दुकानदारों एवं स्ट्रीट वेंडरों के लिए डस्टबिन का उपयोग करना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

पटना नगर निगम की टीम सभी बाजारों एवं मुख्य सड़कों पर भ्रमण कर इसकी जाँच करेगी। जिनके पास डस्टबिन नहीं होगा, ऐसे दुकानों को चिह्नित किया जाएगा। जो नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर द्वारा सभी अंचल के पदाधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.1.2023)**

चैम्बर ने पूर्व अध्यक्ष स्व. खेमचन्द चौधरी की 48वीं पुण्य तिथि मनायी

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष स्व. खेमचन्द चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पुष्पांजली देते सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 14 जनवरी, 2023 को चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष स्व. खेमचन्द चौधरी जी की 48वीं पुण्य तिथि मनायी गयी। इस अवसर पर स्व. चौधरी को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कीर्तित्व को याद किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बताया कि स्व. चौधरी 14 जनवरी, 1975 को चैम्बर की ओर से जरूरतमंदों के बीच कम्बलों का वितरण करने कार से दरभंगा जा रहे थे। रास्ते में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी थी। उस समय से लगातार 14 जनवरी को उन्हें याद किया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि वे व्यापार, उद्योग के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी मृत्यु भी परोपकार करते हुए ही हुई।

श्रद्धांजलि सभा में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्रीमती नीलम अग्रवाल, श्री अजय गुप्ता, श्री आशीष शंकर, श्री गणेश खेमका, श्री सत्यप्रकाश, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री सुनील सराफ, श्री आशीष प्रसाद, श्री राकेश कुमार, स्व. चौधरी जी की सुपौत्री श्रीमती पुनम खण्डेवाल एवं उनके पति डॉ. चिरंजीव खण्डेवाल तथा पौत्र की अमर चौधरी उपस्थित हुए तथा उद्योग एवं व्यापार के हित में उनके द्वारा किये गये कार्यों का स्मरण करते हुए स्व. चौधरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।

पटना से अमृतसर के लिए सीधी फ्लाइट, वन स्टॉप के साथ दुबई, जयपुर, गोवा, श्रीनगर, शिर्डी की भी उड़ान

पटना से दुबई व खजुराहो का सफर 8 घंटे का, अभी पटना से रोजाना 32 विमानों का ऑपरेशन

पटना समेत बिहार के विमान यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 20 जनवरी से स्पाइसजेट पटना से अमृतसर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। यह फ्लाइट पहले भी पटना से ऑपरेट होती थी पर कोहरा रहने की वजह से ऑपरेट नहीं हो रही थी। वहीं, 20 जनवरी से ही पटना से स्पाइसजेट की एक नई उड़ान जयपुर के लिए भी शुरू होने वाली है। यह फ्लाइट पटना से रवाना होकर वाराणसी जाएगी फिर वहाँ से जयपुर जाएगी। यह फ्लाइट भी पहले थी पर दो माह से बंद है। स्पाइसजेट वन स्टॉप के साथ 20 जनवरी से ही पटना से दुबई, गोवा, खजुराहो श्रीनगर, जैसलमर, शिर्डी के लिए नई फ्लाइट शुरू करने वाला है। पटना से अमृतसर, गोवा, शिर्डी, जैसलमर जयपुर, खजुराहो के लिए विमान रोजाना आएगी-जाएगी। पटना से एक स्टॉप के साथ दुबई का सफर करीब 8 घंटे का होगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 16.1.2023)

फ्लैट व बंगला भी बेचेगा आवास बोर्ड, 100 से 190 वर्ग मीटर में होंगे

टू, थ्री व फोर बीएचके होंगे सभी फ्लैट व बंगले, डेकोरेशन पर होगा ध्यान

बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से डीडीए की तर्ज पर जमीन बेचने के बाद अब फ्लैट और बंगले भी बनाकर बेचेगा। ये सभी फ्लैट और बंगले 100 से 190 वर्ग मीटर एरिया में बनेंगे। इनका नक्शा और इंटीरियर डेकोरेशन का काम आवास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। फ्लैट का मूल्य उसके बनने में लगे लागत और लोकेशन के मुताबिक तय किया जाएगा। हालांकि, 35 से 70 लाख के बीच फ्लैट का मूल्य होने की संभावना है। इसके साथ ही बंगले का रेट, एरिया-लोकेशन, सड़क की चौड़ाई, मार्केट से दूरी, पार्क, हॉस्पिटल सहित अन्य सुविधाओं को ध्यान में रख करके तय किया जाएगा। बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से रेरा के नियमों के मुताबिक फ्लैट का निर्माण होगा। इससे आक्युपेशन सर्टिफिकेट, एनओसी सहित अन्य प्रमाण पत्र मिलने में आसानी होगी। इसके साथ ही आवास बोर्ड द्वारा फ्लैट निर्माण से प्राइवेट बिल्डरों के मनमानी पर भी रोक लगेगी और एंग्रीमेंट के मुताबिक मिले कागज के आधार पर ही फ्लैट का रजिस्ट्रेशन होगा। फ्लैट के संबंध में बुडको के एमडी धमेन्द्र सिंह का कहना है फ्री होल्ड के साथ ही विभाग द्वारा लोगों के लिए आवास, जमीन सहित कई योजना पर काम किया जा रहा है।

ये होगा फायदा : • जमीन के मामले में होने वाली धांधली पर पूरी तरह से रोक लगेगी • एंग्रीमेंट के मुताबिक ही फ्लैट का निर्माण होगा। इससे बाद में उपभोक्ता व बिल्डर दोनों को समस्या नहीं होगी • आक्यूपेशन सर्टिफिकेट, विभिन्न विभागों द्वारा एनओसी सहित अन्य प्रमाण पत्र मिलने में आसानी होगी • दिल्ली और मुम्बई की तरह ही कॉलोनी के विकास में सहयोग मिलेगा। सही तरीके से कॉलोनी के विकास से शहर का फैलाव होगा • सड़क चौड़ी होगी। इस दौरान बड़े वाहन आवाजाही में आसानी होगी • नक्शा पास के समस्या से छुटकारा मिलेगा। बैंक से लोन मिलने में आसानी होगी • बाजार रेट से सस्ते मूल्य पर फ्लैट मिलेगा। सीवरेज, नाली, सड़क, पार्क, मार्केट सहित अन्य सुविधा मिलेगी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 15.1.2023)

चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोपालगंज का एक प्रतिनिधिमंडल गोपालगंज के आरक्षी अधीक्षक से मिला

चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोपालगंज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पिंकी के नेतृत्व में गोपालगंज के आरक्षी अधीक्षक श्री स्वर्ण प्रभात, भा. पु. से. से दिनांक 23 जनवरी, 2023 को मिला। प्रतिनिधिमंडल ने आरक्षी अधीक्षक महोदय को गोपालगंज में व्यवसायियों पर हो रहे आपराधिक घटनाओं एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने, शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं जाम की गंभीर स्थिति से निजात दिलाने की मांग की। इसके अतिरिक्त शाम के वक्त पेट्रोलिंग और अधिक कराने का भी अनुरोध किया ताकि व्यवसायी सुरक्षित व्यवसाय कर सकें।

आरक्षी अधीक्षक महोदय ने चैम्बर प्रतिनिधि-मंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना एवं उनकी मांग पर हर सम्भव कदम उठाने का भरोसा दिलाया।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर के सचिव श्री अमित रूंगटा, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश प्रसाद एवं वरिष्ठ सदस्य श्री शशि बी. गुप्ता शामिल थे।

श्री स्वर्ण प्रभात, आरक्षी अधीक्षक, गोपालगंज को सम्मानित करते चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोपालगंज के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पिंकी एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

चैम्बर अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पिंकी ने आरक्षी अधीक्षक श्री स्वर्ण प्रभात को अंगवस्त्रम से सम्मानित किया।

अगले पाँच साल में बिहार के सभी शहरों में शुरू हो जाएगी किचेन तक पाइप से गैस की सप्लाई

बिहार-झारखण्ड में चल रहे प्रोजेक्ट के पूरा होने की डेडलाइन

जिला	लागत	पुरानी डेडलाइन	नई डेडलाइन	लेट होगी
समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-वैशाली-सारण	2996 करोड़	फरवरी 2028	अगस्त 2029	18 माह
पटना	359.25 करोड़	अक्टूबर 2022	अक्टूबर 2023	12 माह
अररिया-पूर्णिया-कटिहार-किशनगंज	988 करोड़	दिसम्बर 2029	मार्च 2030	3 माह
खगड़िया-सहरसा-मधेपुरा	163 करोड़	दिसम्बर 2029	मार्च 2030	3 माह
नवादा-कोडरमा	169 करोड़	दिसम्बर 2029	मार्च 2030	3 माह
औरंगाबाद-कैमूर-रोहतास	176 करोड़	अगस्त 2027	फरवरी 2029	18 माह
लखीसराय-मुंगेर-भागलपुर	347 करोड़	फरवरी 2028	अगस्त 2029	18 माह
अरवल-जहानाबाद-भोजपुर-बक्सर	439 करोड़	फरवरी 2028	अगस्त 2029	18 माह
राँची	226.45 करोड़	अक्टूबर 2022	अक्टूबर 2023	12 माह
जमशेदपुर	221.45 करोड़	अगस्त 2022	दिसम्बर 2023	14 माह
बोकारो-हजारीबाग-रामगढ़	613 करोड़	दिसम्बर 2029	मार्च 2030	3 माह

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 23.1.2023)

डिमांड का 105 फीसदी से अधिक खर्च किया, तो खुद-ब-खुद बढ़ जायेगा लोड

जल्द ही स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का विद्युत लोड खुद-ब-खुद बढ़ जायेगा। बिजली कंपनियों ने आयोग को प्रस्ताव दिया है कि यदि कोई उपभोक्ता लगातार तीन महीने तक स्वीकृत लोड का 105 फीसदी से अधिक बिजली खर्च करेगा, तो उनका लोड पिछले तीन महीनों की औसत मांग के आधार पर स्वत: बढ़ जायेगा। यह प्रस्ताव सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगा।

"प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में स्वीकृत लोड से अधिक इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को तत्काल लगने वाली पेनाल्टी से तीन महीने तक छूट देने का प्रस्ताव आयोग को दिया गया है। तीन महीने तक खपत को देख कर उपभोक्ता खुद भी अपना वास्तविक लोड बढ़वा सकेंगे।"

– महेंद्र कुमार, एमडी, एसबीपीडीसीएल

(विस्तृत : प्रभात खबर, 23.1.2023)

अब नो पावर कट... डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का होगा लाइव मेंटेनेंस

पटना में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का अब लाइव मेंटेनेंस होगा। 33 केवी और 11 केवी फीडर में लाइव लाइन मेंटेनेंस शुरू होने के बाद नो पावर कट जोन में पटना शामिल हो जाएगा। इसकी तैयारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने शुरू कर दी है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अनुसार अभी तक ट्रांसमिशन लाइन में लाइव मेंटेनेंस किया जाता है। पहली बार देश की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का लाइव मेंटेनेंस करने की तैयारी चल रही है।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में बिहार समेत देश के अलग-अलग राज्यों की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के इंजीनियरों को हॉटलाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इमरजेंसी इश्यूज पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के निदेशक एन के श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित सेमिनार सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में पिछले दिनों साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पाँच इंजीनियर शामिल हुए थे।

क्या है लाइव मेंटेनेंस : ग्रिड उपकेन्द्र से निकलने वाली 33 केवी फीडर पावर सब स्टेशन की बिजली सप्लाई देती है। यहाँ से निकलने वाली 11 केवी फीडर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को बिजली सप्लाई करती है। इन दोनों फीडरों में बगैर बंद किए तकनीकी रूप से मेंटेनेंस करना ही लाइव लाइन मेंटेनेंस है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 19.1.2023)**

'डिजियात्रा' सुविधा लॉन्च, अब एयरपोर्ट पर आपका चेहरा ही होगा 'बोर्डिंग पास'

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 'डिजियात्रा' सुविधा की शुरुआत की। इसके तहत अब आप बोर्डिंग पास के बिना भी एयरपोर्ट से यात्रा कर सकेंगे. आपका चेहरा ही आपके बोर्डिंग पास के रूप में काम करेगा. डिजियात्रा के साथ एयरपोर्ट पर चेक-इन पेपरलेस होगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 2 दिसम्बर, 2022)**

राज्य कर संयुक्त आयुक्त के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, समस्तीपुर की बैठक सम्पन्न

राज्य कर संयुक्त आयुक्त श्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 17 जनवरी, 2023 को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, समस्तीपुर की एक बैठक स्थानीय श्री खाटू श्याम बिहारी मंदिर में हुई। इस अवसर पर राज्य कर सहायक आयुक्त आबिद सुबहानी, राज्य कर सहायक आयुक्त रोशन कुमार एवं राज्य कर सहायक आयुक्त श्री मुनेश्वर जी भी उपस्थित थे।

स्वागत सम्बोधन चैम्बर उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार केडिया ने किया तथा बैठक का संचालन चैम्बर के सह सचिव श्री पारस जैन ने किया।

बैठक की अध्यक्षता करते राज्य कर संयुक्त आयुक्त श्री प्रमोद कुमार। उनकी दाँयीं ओर राज्य-कर सहायक आयुक्त श्री मुनेश्वर जी। बाँयीं ओर क्रमशः राज्य कर सहायक आयुक्त आबिद सुबहानी एवं राज्य कर सहायक आयुक्त श्री रोशन कुमार।

राज्य कर संयुक्त आयुक्त श्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सभी जीएसटी निर्बंधित व्यवसायियों को जीएसटी निबंधन संख्या को अपने प्रतिष्ठान के बाहर प्रदर्शित करना अनिवार्य है और जिस प्रतिष्ठान के बाहर जीएसटी संख्या प्रदर्शित नहीं होगा तो रू. 50000/- तक का जुर्माना विभाग के द्वारा लगाया जा सकता है और विधि सम्मत कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने व्यवसायियों से अनुरोध किया कि जीएसटी विवरण प्रत्येक माह नियमानुसार जमा करें ताकि आर्थिक नुकसान ओर मानसिक परेशानी से बचा जा सके।

राज्य कर सहायक आयुक्त आविद सुबहानी ने अनिर्बंधित जीएसटी व्यवसायियों को शीघ्र जीएसटी निबंधन करा लेने की सलाह दी। राज्य कर सहायक आयुक्त श्री रोशन कुमार ने जी एस टी 3 बी के दाखिला संबंधित विस्तृत जानकारी दी एवं अन्य पदाधिकारी ने जीएसटी निबंधन एवं जीएसटी के विभिन्न दरों को जानकारी दी। उक्त बैठक में अन्य व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि सहित कई व्यवसायीगण उपस्थित थे।

सूबे के 4 जिलों को मिला नीति आयोग पुरस्कार

बेहतर कार्यो के लिए बिहार के चार जिलों को केन्द्र सरकार का विशेष सम्मान मिला है। नीति आयोग ने इन चार जिलों बेगूसराय, पूर्णिया, जमुई और गया को अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण चयनित किया है। अब इन जिलों को केन्द्र से विकास के लिए विशेष सहायता मिलेगी। इन्हें केन्द्र सरकार इसके लिए 13 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। इस राशि से इन जिलों में विकास कार्य होंगे।

केन्द्र ने किया है 13 आकांक्षी जिलों का चयन : केन्द्र सरकार ने देश के 115 पिछड़े जिलों का चयन विभिन्न मानकों में आकांक्षी जिले के रूप में किया है। इनमें बिहार के 13 जिले शामिल हैं। इसमें कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर व नवादा जिले हैं। इन्हे 11 इंडेक्स पर चयनित किया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 20.1.2023)

बाढ़ से क्षति रोकने को बनी विशेषज्ञ समिति

उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष आर के जैन की अध्यक्षता में यह समिति बनी है। समिति बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की वर्ष 1984 से लेकर 2019 तक सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों का अध्ययन करेगी। ताकि यहाँ की नदियों में आने वाली बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए पहल की जा सकेगी। केन्द्रीय जल आयोग के निर्देश पर बिहार के जल संसाधन विभाग ने नुकसान का अध्ययन किया है।

इसके मुताबिक सिर्फ मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली आधा दर्जन नदियों की वजह से 16 में से नौ प्रखंड के लोगों का चार माह तक रोजगार छिन जाता है, हजारों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। हजारों एकड़ फसल का नुकसान होता है।

विभाग के अनुसार, यहाँ से गुजरने वाली प्रत्येक नदी की ढलान बेहद तीखी है। यानी पानी को रोकना संभव नहीं है। साथ ही नदियों की जल वहन क्षमता भी बेहद कम है, जिसके कारण अधिक पानी आने पर यह पूरे इलाके में फैल जाता है। विभाग ने केन्द्रीय जल आयोग को जो रिपोर्ट दी है, उसका निष्कर्ष यही है कि यहाँ बाढ़ की समस्या पर तो काबू नहीं पाया जा सकता, पर इससे होने वाली क्षति कम की जा सकती है।

ये प्रमुख नदियाँ मचाती हैं तबाही : • **बूढ़ी गंडक :** इसकी बाढ़ से मीनापुर प्रखंड, रघई, घोसौत, बड़ा भारती व हरशेर गाँव अधिक प्रभावित होते हैं • **वागमती :** औराई, कटरा, गाय घाट व बंदरा प्रभावित है। करोड़ों की फसल को नुकसान पहुँचता है। दरभंगा फोरलेन को भी क्षति होती है • **बाया :** इसकी तेज ढलान साहेबगंज, पारू व सरैया प्रखंड के लोगों को क्षति पहुँचाती है • **कदाने :** बांधों को तोड़ते हुए बाढ़ का पानी फसलों व जानमाल को क्षति पहुँचाता है। इस नदी की जल संचय क्षमता काफी कम है • **झाझा :** साहेबगंज, पारू, मोतीपुर व सरैया से गुजरने वाली झाझा नदी जैतपुर में बाया से जुड़ती है। इसमें आने वाली बाढ़ से सड़कों, जानमाल व फसलों को भारी क्षति होती है • **नून :** छोटी दिखने वाली नून नदी भी कई बार रौद्र रूप दिखा चुकी है। पिपरा चौर उद्गम स्थल है। इसका ढलान कम तीखा है, इसलिए पानी तेजी से आबादी क्षेत्र में घुसता है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.1.2023)

हेलमेट के साथ बकल का लगा होना भी आवश्यक

राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से दोपहिया वाहन चालन के दौरान हेलमेट के साथ उसका बकल का लगा होना भी जरूरी है। बकल नहीं लगे होने से सड़क दुर्घटना में सिर पर गंभीर चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है।

सड़क सुरक्षा सप्ताह में सभी जिलों में विशेष जांच अभियान में हेलमेट और उसके साथ बकल की भी जाँच की गई।

आयुक्त ने कहा कि हेलमेट पहनते हुए भी बकल नहीं बांधने वाले दोपहिया वाहन चालकों को उसका महत्व बताया गया एवं जागरूक किया गया। व्यावसायिक वाहन चालकों को जिलों में रिफ्रेशर कोर्स कराया गया। साथ ही वाहन चालकों को सड़क दुर्घटना से बचने के तरीके के बारे में बताया गया। साथ ही यातायात के सामान्य नियम, चिह्नों की भी जानकारी दी गई। दूसरी तरफ पटना में बांकीपुर बस स्टैंड में 176 वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया गया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.1.2023)

पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन

केन्द्र सरकार राज्यों को पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए पूंजीगत निवेश योजना के लिए विशेष सहायता के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा वाहन को कबाड़ के लिए पेशकश करने वाले लोगों को भी कर रियायत दी जाएगी। सरकार ने 2022-23 के बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना पेश की थी। इसके तहत 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में सहायता दी जाती है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.1.2023)**

'उपयोग' से शहरी निकायों में सर्विस डिलिवरी होगी आसान

नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से सूबे के शहरी निकायों में दी जाने वाली तमाम सेवाओं की डिलिवरी आसान बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत जल्द ही नया सॉफ्टवेयर 'उपयोग' (अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलिवरी ऑफ ऑनलाइन इ-गवनेंस) लाँच किया जायेगा। इसके लांच होने पर शहरी सुविधाओं के लिए आम लोगों को कार्यालयों के कम-से-कम चक्कर लगाने होंगे।

एक ही पोर्टल पर टैक्स जमा से लेकर शिकायतों की सुनवाई : 'उपयोग' का उद्देश्य शहरी प्रशासकीय व्यवस्था को डिजिटल करने के साथ ही आम लोगों को भी तकनीक की सुविधा देकर उनकी नगरीय सुविधाएँ लेने में होने वाली परेशानी को कम करना है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 16.1.2023)**

तेज वाहनों की पहचान को लगेंगे ऑटोमेटिक कैमरे

राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवाहन विभाग जल्द ही नई पहल शुरू करेगा। इसी क्रम में तय सीमा से अधिक तेज चलने वाले वाहनों की पहचान कर उनपर कार्रवाई के लिए ऑटोमेटिक कैमरे लगाये जाएँगे। तेज रफ्तार के वाहनों का नंबर प्लेट कैमरे के माध्यम से चिप में संग्रहित हो जाएगा। नंबर प्लेट से जानकारी लेकर वाहनों पर लगे जुर्माना की सूचना एसएमएस से भेजी जाएगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.1.2023)**

30 दिन से अधिक नहीं चला सकते अन्य राज्यों की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ, चलानी ही हो तो यहाँ कराना होगा नया रजिस्ट्रेशन, वहाँ से बचे साल का टैक्स रिफंड मिलेगा

अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने के लिए एक माह तक की ही छूट है। इससे अधिक चलाते पकड़े जाते हैं तो 5000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए हर शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलेगा। इससे बचना है तो टैक्स जमा करके यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। आपको बचे साल का ही टैक्स जमा करना पड़ेगा। वहाँ से एनओसी मिलने के बाद एक-दो दिन के अंदर यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपने जिस राज्य से गाड़ी खरीदी है, वहाँ क्लेम करने पर शेष साल का टैक्स वापस मिल सकता है। मसलन, किसी ने दिल्ली में गाड़ी खरीदी है और पाँच साल तक वहाँ चला चुके हैं। अब बिहार में चलाना चाहते हैं, तो यहाँ 10 साल का टैक्स जमा करना पड़ेगा। 10 साल का टैक्स वापस लेने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग से क्लेम कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी करने के बाद वहाँ से रिफंड मिल जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक लोग टैक्स से बचने के लिए दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदकर बिहार में चलाते हैं। वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 6.1.2023)**

निर्देश : रेल के सफर में जरूरत पर दवा मिलेगी

- **जोनल महाप्रबंधकों को रेलवे बोर्ड ने आदेश भेजा**
- **फिलहाल अगले स्टेशन पर चिकित्सा सुविधा मिलती है।**

ट्रेन में सफर के दौरान जरूरत पर रेल यात्रियों को जीवन रक्षक दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने 17 जोनल महाप्रबंधकों को जारी आदेश में कहा गया है कि यात्री ट्रेन में यह प्रबंध किया जाए। अभी रेल सफर में जरूरत होने पर अगले स्टेशन पर चिकित्सा सुविधा मिलती है।

रेलवे बोर्ड ने 18 नवंबर को यह निर्देश जारी किए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सभी ट्रेन में सूचीबद्ध जीवन रक्षक दवाईयों (फर्स्ट एड बॉक्स) के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर-चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना है। इससे सफर में यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी आपत स्थिति होने पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के आदेश में स्पष्ट किया है कि सफर के दौरान आपात स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए दवाएँ और उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ। लेकिन अभी तक सभी जोनल रेलवे ने डाटा नहीं दिया है। बोर्ड ने इस पर चिंता जताई है और सभी जोन को ट्रेन में चिकित्सा सुविधा देने की हिदायत दी है। **(साभार : हिन्दुस्तान 4.12.2022)**

महत्वपूर्ण सूचना

वस्तु एवं सेवा कर (GST) में निबंधित व्यवसाइयों एवं प्रतिष्ठानों को अपने प्रतिष्ठानों, अतिरिक्त व्यवसायिक स्थलों एवं गोदामों पर नाम एवं GST का निबंधन संख्या लिखना अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन की स्थिति में दंड का भी प्रावधान है। अत: उक्त सम्बन्ध में राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, पटना मध्य अंचल से प्राप्त पत्रांक 121 दिनांक 17.01.2023 की प्रति आपके अवलोकनार्थ उद्धृत की जा रही है।

कार्यालय राज्य-कर संयुक्त आयुक्त पटना मध्य अंचल, पटना।

पत्रांक 121 दिनांक : 17.1.2023

प्रेषक,

राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी)
पटना मध्य अचल, पटना।

सेवा में

अध्यक्ष,
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज,
बिहार, पटना।

विषय : व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अतिरिक्त व्यवसाय स्थलों एवं गोदामों पर नाम तथा GSTIN एवं प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 18 के तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अतिरिक्त व्यवसाय स्थलों एवं गोदामों पर नाम तथा GSTIN एवं प्रमाण-पत्र प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में दण्ड का भी प्रावधान है।

अत: अनुरोध है कि उक्त के अनुपालन में अपना सहयोग देना चाहेंगे एवं अपने स्तर से भी निर्देशित करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी)
पटना मध्य अचल, पटना।

आवश्यक सूचना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 4926 (अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 जारी करते हुए अधिसूचना संख्या 2119 (अ) दिनांक 26 जून, 2020 में संशोधन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गैर कर लाभों के उपयोग की अवधि को तीन वर्ष बढ़ा दिया है। उक्त अधिसूचना सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है :-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी. जी.- डी. एल.-अ. 18102022-239737
CG-DL- E-18102022-239737
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II -खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4714] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर, 2022/आश्विन 26, 1944
No. 4714] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2022 / ASVINA, 1944

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2022

का. आ. 4926 (अ).- केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 8 की उप-धारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2119(अ), तारीख 26 जून, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, का और निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 8 के उप पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

''(5) संत्रंय और मशीनरी या उपस्कर में निवेश में उच्चतर परिवर्तन अथवा / और टर्नओवर में उच्चतर परिवर्तन तथा परिणामस्वरूप पुन: वर्गीकरण की स्थिति में, कोई उद्यम उस प्रवर्ग (सूक्ष्म या लघु या मध्यम) से ऐसे उच्चतर परिवर्तन की तारिख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उन सभी गैर-कर लाभों का उपयोग करता रहेगा, जैसा कि वह पुन:वर्गीकरण से पहले कर रहा था।''

[फा.सं. पी-05/1/2022-जीईएन]
शैलेश कुमार सिंह, अपर सचिव एवं
विकास आयुक्त (एमएसएमई)

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2119(अ), तारीख 26 जून, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, ,खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 1055 (अ), तारीख 5 मार्च, 2021, का.आ. 2347(अ), तारीख 16 जून, 2021, का.आ. 278(अ), तारीख 19 जनवरी, 2022 और का.आ. 2134(अ), तारीख 6 मई, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

IMPORTANT INFORMATION

The date of implementation of New Rules in respect of "UNIT-PRICE" etc. under the **Legal Metrology (Packaged Commodities) (Amendment) Rules, 2022 stand extended to 1st February, 2023 instead of from 1st Jan. 2023.**

The copy of Notification No. G.S.R. 910 (E) dated 29th December 2022 issued by the Department of Legal Metrology (Ministry of Consumer Affairs) is printed below for the information of members.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December, 2022

G.S.R. 910(E) – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely :-

1 (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packged Commodities) (Amendment) Rules. 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Amendment) Rules, 2022, in rule 1, in sub-rule (2), for the figures, Letters and words "1st day of January, 2023", the figures, letter and words **"1st Day of February, 2023" shall be substituted.**

[F.No. I-10/22/2021W&M (Part-1)]
ANUPAM MISHRA, Jt. Secy

Note:- The Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2022 were Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (I)Vide number G.S.R 226 (E), Dated the 28th March, 2022 and last amended vide notification number G.S.R. 859 (E), dated the 30th November, 2022.

आवश्यक सूचना

सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत की जाने वाली निविदा में **Brand Name** का उल्लेख नहीं करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज द्वारा बराबर सरकार से यह मांग की जा रही थी कि सामग्रियों के क्रय हेतु निर्गत की जाने वाली निविदा में **Brand/Company** के नाम का उल्लेख नहीं किया जाये।

उक्त आलोक में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार ने अपने पत्रांक 116 दिनांक 04 जनवरी, 2023 के द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया है कि निविदा में ब्रांड/कम्पनी का नाम का उल्लेख नहीं किया जाये। माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ उक्त पत्र उद्धृत है :-

पत्रांक एम-4-48/2012-116/वि. पटना-15, दिनांक : 04/01/2023

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कार्यालय प्रधान, बिहार।

विषय : **सामग्रियों के क्रय हेतु निर्गत की जाने वाली निविदा/कार्यान्वयन नीति/निर्देशिका में Brand Name का उल्लेख नहीं करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग : **वित्त विभागीय पत्रांक-3702 दिनांक 25.04.2014**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के सरकारी कार्यालयों/निकायों/लोक उपक्रमों के स्तर पर सामग्रियों/सेवा की अधिप्राप्ति हेतु निर्गत की जाने वाली निविदा/कार्यान्वयन नीति/निर्देशिका में किसी विशेष Brand Name का उल्लेख नहीं करने का दिशा-निर्देश निर्गत है।

विदित हो कि विभिन्न विभागों से प्राप्त संचिका के समीक्षा के क्रम में यह दृष्टांत सामने आया है कि सामग्रियों/सेवा की अधिप्राप्ति में ब्रांड/कंपनी का नाम उल्लेख किया जा रहा है, यह बिहार वित्त नियमावली एवं वित्त विभागीय दिशा -निर्देश पत्रांक-3702 दिनांक-25.04.2014 के प्रतिकूल है एवं कोई Brand सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है जिसका MRP पर खरीद किया जाय।

अतएव सामग्रियों/सेवा की अधिप्राप्ति हेतु निर्गत निविदा/कार्यान्वयन नीति/निर्देशिका में ब्रांड/कंपनी का नाम अंकित नहीं किया जाय। इस संदर्भ में प्रासंगिक वित्त विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव।
वित्त विभाग, बिहार सरकार

ज्ञापांक:- एम-4-48/2012-116/वि0, पटना, दिनांक - 04/01/2023

प्रतिलिपि : सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचना, आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

सूचना

भारत में पहली बार **Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI)** ने बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक एवं मानकों को अधिसूचित किया है जो दिनांक 01 अगस्त, 2023 से लागू होगा।

उक्त सम्बन्ध में **FSSAI** द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12 जनवरी, 2023 सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है।

तत्संबंधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11 जनवरी 2023 की प्रति सदस्यो को सूचनार्थ उनके ई-मेल/ह्वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। यदि किन्हीं सदस्य को आवश्यकता हो तो चैम्बर से सम्पर्क करें।

भारत में पहली बार, FSSAI ने बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया, 1 अगस्त, 2023 से लागू होगा।

बासमती चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेषता बनी रहेगी और यह कृत्रिम रंग, पॉलिशिंग एजेंटों और कृत्रिम सुगंधों से मुक्त होगा।

मानकों का उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित व्यवहार स्थापित करना और घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है।

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2023 : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भारतीय राजपत्र में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक (प्रथम संशोधन विनियम 2023 के द्वारा बासमती चावल)भूरा बासमती चावल, मिल का बासमती चावल, उसना भूरा बासमती चावल और मिल का उसना बासमती चावल सहित के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है।

इन मानकों के अनुसार बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध की विशेषता होनी चाहिए और कृत्रिम रंग, पॉलिशिंग एजेंटों और कृत्रिम सुगंधों से मुक्त होना चाहिए। ये मानक बासमती चावल के लिए विभिन्न पहचान और गुणवत्ता मापदंडो को भी निर्दिष्ट करते हैं - जैसे कि अनाज का औसत आकार और पकाने के बाद उनका बढ़ाव अनुपात, नमी की अधिकतम सीमा, एमाइलोज की मात्रा, यूरिक एसिड, दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त अनाज और अन्य गैर-बासमती चावल आदि की आकस्मिक उपस्थिति।

इन मानकों का उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित प्रथाओं को स्थापित करना और घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। **ये मानक 1 अगस्त, 2023 से लागू होंगे।**

बासमती चावल भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय की तलहटी में उगाई जाने वाली चावल की एक प्रीमियम किस्म है। यह अपने लंबे दाने के आकार, कोमल बनावट और अद्वितीय अंतर्निहित सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ जहाँ बासमती चावल उगाए जाते हैं; साथ ही चावल की कटाई, प्रसंस्करण और उम्र बढ़ने की विधि बासमती चावल की विशिष्टता में योगदान करती है। अपनी अनूठी गणुवत्ता विशेषताओं के कारण, बासमती चावल की घरेलू ओर विश्व स्तर पर व्यापक रूप से खपत की जाने वाली किस्म है और इसकी वैश्विक आपूर्ति में भारत का योगदान दो तिहाई हिस्से का है।

प्रीमियम गुणवत्ता वाला चावल होने और गैर-बासमती किस्मों की तुलना में अधिक कीमत प्राप्त करने के कारण, बासमती आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की मिलावट का शिकार होता है, जिसमें अन्य के अलावा, चावल की अन्य गैर-बासमती किस्मों का अघोषित सम्मिश्रण शामिल हो सकता है। इसलिए घरेलू और निर्यात बाजारों में मानकीकृत वास्तविक बासमती चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्राधिकरण ने बासमती चावल के लिए नियामक मानकों को अधिसूचित किया है जो संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से तैयार किए गए हैं।

महत्वपूर्ण सूचना

उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-3109 दिनांक-20 जूलाई 2022 के आलोक में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) ने अपने कार्यालय आदेश ज्ञापांक 3404 दिनांक 13 अगस्त 2022 द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के भूमि दर को पुनरीक्षित किया है जिसकी प्रति सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को उचित मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मद संख्या-03 के रूप में दिनांक 19.07.2022 को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के लीज दर निर्धारण के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त प्रस्ताव की कंडिका - 6 में 54 औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक छूट देने के पश्चात निम्न प्रकार भूमि के लीज दर का निर्धारण किया गया है :-

क्र०	जिले का नाम	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	मौजूदा दर प्रति एकड़ (लाख में)	रियायती मूल्य प्रति एकड़ (लाख में)
		80% छूट वाले औद्योगिक क्षेत्र		
1	गोपालगंज	औद्योगिक क्षेत्र हथुआ, फेज -I और फेज - II	297	59
2	सिवान	औद्योगिक क्षेत्र न्यू सीवान, फेज -I	575	115
3	सिवान	औद्योगिक क्षेत्र न्यू सीवान, फेज -II	416	83
4	औरंगाबाद	औद्योगिक विकास केंद्र, औरंगाबाद	558	112
5	रोहतास	औद्योगिक क्षेत्र, विक्रमगंज	407	81
6	बक्सर	औद्योगिक क्षेत्र, डुमरांव	352	70
7	गया	औद्योगिक क्षेत्र, गुरारू	186	37
8	मुंगेर	औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर	350	70
9	मुंगेर	औद्योगिक क्षेत्र, मुंगेर	450	90
10	पश्चिम चम्पारण	औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर	206	41
11	मधुबनी	औद्योगिक क्षेत्र, झंझारपुर	412	82
12	मधेपुरा	मिनी विकास केन्द्र, उदाकिशनगंज	175	35
13	मधेपुरा	औद्योगिक प्रांगण, मुरलीगंज	294	59
14	सहरसा	औद्योगिक प्रांगण, सहरसा	875	175
15	नालंदा	औद्योगिक प्रांगण, बिहारशरीफ	513	103
		60% छूट वाले औद्योगिक क्षेत्र		
1	पश्चिम चम्पारण	औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग	172	69
2	पश्चिम चम्पारण	औद्योगिक क्षेत्र, बेतिया	350	140
3	रोहतास	औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी	210	84
4	भोजपुर	औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया	207	83
5	जहानाबाद	औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद	450	180
6	पटना	औद्योगिक क्षेत्र, न्यू बिहटा	361	144
7	सिवान	औद्योगिक क्षेत्र, सिवान	218	87
8	मधुबनी	औद्योगिक क्षेत्र, सकरी	85	34
9	सीतामढ़ी	औद्योगिक क्षेत्र, सीतामढ़ी	343	137
10	दरभंगा	औद्योगिक प्रांगण, धरमपुर	438	175
11	कटिहार	औद्योगिक प्रांगण, कटिहार	387	155
12	किशनगंज	औद्योगिक प्रांगण, खगरा	283	113
		40% छूट वाले औद्योगिक क्षेत्र		
1	भागलपुर	वृहत् औद्योगिक प्रांगण, बरारी	550	330
2	पूर्णिया	औद्योगिक क्षेत्र, बनमंखी	89	53
3	पूर्णिया	औद्योगिक प्रांगण, पूर्णिया सिटी	173	104
4	दरभंगा	औद्योगिक क्षेत्र, दोनार	150	90
5	दरभंगा	औद्योगिक प्रांगण, बेला	404	242
6	पूर्वी चम्पारण	औद्योगिक क्षेत्र, रक्सौल	159	95
7	वैशाली	औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर	436	262
8	औरंगाबाद	औद्योगिक क्षेत्र, बारूण	100	60
9	औरंगाबाद	औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद	269	161

10	बक्सर	औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर	210	126
11	नवादा	औद्योगिक क्षेत्र, नवादा	122	73
12	लखीसराय	औद्योगिक प्रांगण, लखीसराय	120	72
		20% छूट वाले औद्योगिक क्षेत्र		
1	पूर्णिया	औद्योगिक विकास केंद्र, मरंगा	165	132
2	अररिया	औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज	81	65
3	मधुबनी	औद्यागिक क्षेत्र लोहट, फेज -I फेज - II, और फेज - III	47	38
4	पूर्वी चम्पारण	औद्योगिक क्षेत्र, सुगौली	45	36
5	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर	268	214
6	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, कोररा	44	35
7	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर	268	214
8	वैशाली	औद्यागिक क्षेत्र गोरौल, फेज -I और फेज - II	90	72
9	वैशाली	ई.पी.आई.पी. हाजीपुर	292	234
10	पटना	औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा	251	201
11	पटना	औद्योगिक क्षेत्र, पाटलिपुत्रा	1325	1060
12	बक्सर	औद्योगिक क्षेत्र, नवानगर	65	52
13	नवादा	औद्योगिक क्षेत्र, वारीसलीगंज	223	178
14	मुंगेर	औद्योगिक क्षेत्र, सीताकुंड	87	70
15	खगड़िया	औद्योगिक विकास केन्द्र, खगड़िया	42	34

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा पाँच वर्षों की अवधि समाप्त होने तक भूमि दर निर्धारण की समीक्षा करते हुए दर निर्धारण के लिए कार्रवाई की जायेगी। नई दर अधिसूचित होने तक पूर्व में अधिसूचित दर प्रभावी रहेगी। अधिसूचना की तिथि से पूर्व आवंटित भूमि हेतु नई दरें प्रभावी नहीं होगीं और किश्तों में भुगतान की स्थिति में पूर्व दर पर ही भुगतान होता रहेगा।

4. जिन औद्योगिक क्षेत्रों का वर्तमान भूमि लीज दर कम है उसे बियाडा अपने स्तर से बढ़ा सकेगा।

ह0/-
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 3109 पटना, दिनांक - 20/07/22

सं.सं. - 5/स0मु0 (एस0एल0पी) 20/2012 खण्ड 1

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष संस्करण में प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियां मुद्रित करें तथा इस विभाग को उपलब्ध कराएं।

महत्वपूर्ण सूचना

बिहार माल एवं सेवा कर में संशोधन से संबंधित वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या एस. ओ. - 489, 490, 491 एवं 492 दिनांक 30 दिनांक 30 दिसम्बर 2022 की प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है :-

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1944 (श0)
(सं0 पटना 1110) पटना, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2022

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
30 दिसम्बर, 2022
अधिसूचना संख्या 15/2022-राज्य कर (दर)

एस. ओ. 489, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा : -

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I में - 2.5%,-

(i) क्रमांक 102क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-
"एथाइल अल्कोहल जो की मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाईनरियों को आपूर्ति किया गया हो",

(ii) क्रमांक 103 (अ) के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्मलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-
"चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय फीड समेत झींगा फीड और झींगा फीड, पोल्ट्री फीड और पशु फीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, चिलका सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र, गेहूँ की भूसी, डी-ओंइल केक से भिन्न]":

ख. अनुसूची II में - 6%,-

(i) क्रमांक 48 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-
"फलों के पल्प या फलों के रस आधारित पेय [फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिवरेज के अलावा]":

(ii) क्रमांक 180 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-
"मैथमेटिकल बॉक्सेस, ज्योमेट्री बॉक्सेस और कलर बॉक्सेस":

ग. अनुसूची III में - 9%, क्रमांक 25 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"किसी भी सांद्रता के एथाइल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट्स, डिनेचर्ड, [एथाइल अल्कोहल, जो की मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाईनरियों को आपूर्ति किया गया हो से भिन्न]";

2. **यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।**

[सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)-12)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 पौष 1944 (श0)
सं0 पटना 1111 पटना, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2022

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
30 दिसम्बर, 2022
अधिसूचना संख्या 13/2022-राज्य कर (दर)

एस. ओ. 490, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 545, दिनांक 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा : -

उक्त अधिसूचना में, अनसूची में

(i) क्रमांक 102 क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"जलीय फीड समेत झींगा फीड और झींगा फीड, पोल्ट्री फीड और पशु फीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की भूसी और डी ऑइल-केक [चावल की भूसी से भिन्न]"

(ii) क्रमांक 102 ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)
"102ग	2302, 2309	चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

[सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)-13)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 पौष 1944 (श0)
सं0 पटना 1112 पटना, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2022

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
30 दिसम्बर, 2022
अधिसूचना संख्या 14/2022-राज्य कर (दर)

एस. ओ. 491, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 4/2017 राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 547, दिनांक 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा : -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रमांक 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"3क	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540, 33012590	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा :- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा) ख. अन्य मिंट का : स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्क्वेटिका), हॉरसमिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट), मेंथा आरवेंसिस	कोई अपंजीकृत व्यक्ति	कोई पंजीकृत व्यक्ति"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

[सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)-14)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 पौष 1944 (श0)
सं0 पटना 1113 पटना, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2022

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
30 दिसम्बर, 2022
अधिसूचना संख्या 15/2022-राज्य कर (दर)

एस. ओ. 492, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा : -

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रमांक संख्या 12 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्त:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"स्पष्टीकरण -: इस प्रविष्टि के तहत छूट के प्रयोजन के लिए, एक पंजीकृत व्यक्ति को रिहायशी आवास किराए पर देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ शामिल होंगी जहाँ कि-

(i) ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो स्वत्वधारी समुत्थान का स्वत्वधारी है और किसी रिहायशी आवास को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपने निवास के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लेता है, और

(ii) इस तरह का किराया उसके अपने खाते पर है और जिसका स्वत्वधारी समुत्थान का कोई संबंध नहीं है।"

(ii) क्रम संख्या 23क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. **यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।**

[सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)-15)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

आवश्यक सूचना

अतिक्रमण को हटाने के संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन किया गया है। इस संबंध में जारी बिहार गजट अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2023 सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है:-

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1944 (श.)
(सं. पटना 58) पटना शुक्रवार, 13 जनवरी 2023

विधि विभाग
अधिसूचना
13 जनवरी 2023

सं.एल.जी.- 01-20/2022-375/लेज।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 08 जनवरी, 2023 को अनुमति दे चुके हैं। इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रुद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2022
(बिहार अधिनियम 05, 2023)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11 2007) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत-गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-**
   (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-435 का संशोधन ।-**
   (1) उक्त अधिनियम की धारा 435 के उपधारा (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"(3) नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे स्थायी अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने हेतु पन्द्रह दिन पूर्व नोटिस निर्गत करेगा। पन्द्रह दिनों के अन्दर ऐसे स्थायी अतिक्रमण या अवरोध के संबंध में नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को कारण सहित संतुष्ट करने में विफल रहने पर नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण/अवरोध हटाने का आदेश पारित कर अतिक्रमण हटाया जा सकेगा और संबंधित अतिक्रमण -कर्त्ता को जुर्माना से दंडित कर सकेगा अथवा ऐसे अतिक्रमण को हटाने में होनेवाले व्यय की वसूली अतिक्रमणकर्त्ता से किया जा सकेगा। दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होने की स्थिति में ऐसे अतिक्रमणकर्त्ता से होल्डिंग के बकाया के रूप में वसूली की जायेगी।

परन्तु यह कि नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण एवं अवरोध को चौबीस घंटे की नोटिस देकर हटा सकेगी।"

आवश्यक सूचना

नगर विभाग एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर विज्ञापनों और इसी प्रकार के उपकरणों के प्रदर्शन के संबंध में बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 (The Bihar Municipal Area Advertisement Rule 2023) से संबंधित अधिसूचना संख्या 154 दिनांक 9 जनवरी, 2023 जारी किया है। उक्त अधिसूचना की प्रति सदस्यों के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ उनके ई-मेल/ह्वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। अगर किसी सदस्य को उक्त अधिसूचना की प्रति चाहिए तो चैम्बर कार्यालय से सम्पर्क करें।

महत्वपूर्ण सूचना

बियाडा (BIADA) ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिये भूमि हस्तांतरण के संबंध में लगने वाले स्थानांतरण शुल्क एवं रख-रखाव शुल्क की गणना से संबंधित गणना तालिका जारी किया है जिसकी प्रति सदस्यों की सूचनार्थ Email/whatapps द्वारा भेजी जा चुकी है। यदि आवश्यकता हो तो चैम्बर से सम्पर्क करें।

स्टार्टअप के लिए 24 घंटे काम करेगा पोर्टल, कोई भी कर सकेगा आवेदन

उद्योग विभाग ने ट्रायल रन किया,
नए स्टार्टअप को प्रमुखता देने के लिए लिया गया फैसला,
पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों की हर सप्ताह होगी जाँच

बिहार में स्टार्टअप के लिए पोर्टल 24 घंटे काम करेगा। नये स्टार्टअप के लिए नये बिजनेस आइडिया के साथ कोई भी युवा, नौकरीपेशा या बुजुर्ग आवेदन कर सकेंगे। उद्योग विभाग ने ट्रायल रन भी कर लिया है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत आवेदकों को कभी भी किसी भी दिन ऑनलाइन आवेदन देने की सुविधा प्रदान की गयी है। पूर्व में पोर्टल खुला रहने पर ही नये स्टार्टअप के लिए आवेदन लिए जाते थे।

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर दाखिल किए जाने के बाद प्रत्येक सप्ताह सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन की जाँच की जाएगी। वहीं, प्रत्येक 15-30 दिनों के अंदर नयी नीति के तहत विभाग की उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक कर नये स्टार्टअप के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पूर्व में आवेदनकर्ता नये स्टार्टअप की शुरूआत को लेकर बिजनेस आइडिया देने के बाद उसकी मंजूरी के लिए इंतजार करते रहते थे।

आवेदन करने की प्रक्रिया : • आइडिया को पोर्टल के माध्यम से निर्धारित फॉर्मेट में भरकर ऑनलाइन आवेदन जमा करें • स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट (एसएसयू) द्वारा जाँच की जाएगी। योग्य स्टार्टअप का चयन कर सूचीबद्ध किया जाएग • गठित प्रारंभिक जाँच समिति द्वारा सूचीबद्ध आवेदन का अनुमोदन कर इन्क्यूबेटर आवंटित किया जाएगा • चयनित आवेदनों को इन्क्यूबेटर्स अपने स्टार्टअप को सहयोग करेंगे और स्टार्टअप के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगे।

79 स्टार्टअप को सीड फंड दिया गया है अब तक 2022-23 में

"स्टार्टअप के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ है। यह युवाओं को आकर्षित भी करता है। लेकिन स्टार्टअप और पारंपरिक व्यवसाय में फर्क होता है। नये अन्वेषण और नवाचार स्टार्टअप के आवश्यक अवयव हैं। सभी नये स्टार्टअप पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।"

– **संदीप पौण्डरीक,** प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार

बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में किए गए प्रमुख प्रावधान

- स्टार्टअप को 10 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये तक का बीज अनुदान (सीड फंड) दिया जाएगा।
- महिला उद्यमियों को पांच प्रतिशत अधिक तथा एससी-एसटी व दिव्यांग उद्यमियों को 15 प्रतिशत अधिक राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
- स्टार्टअप के लिए सामान्य आधारभूत संरचना के निर्माण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- स्केल अप फंडिंग सपोर्ट व पेटेंट आवेदनों को लेकर भी सुविधा दी जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.1.2023)

राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाएंगी 28 एजेंसियाँ

बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को छतों पर सोलर लगाने के लिए 28 एजेंसियों का चयन किया है। उपभोक्ता इनमें से अपनी पसंद की एजेंसी का चयन कर सकते हैं। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन देने वाले 13 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को मैसेज भेजा गया है। चयनित एजेंसी उनकी छतों का सर्वे करेगी। सोलर से खपत से अधिक बिजली उत्पादन होने पर ग्रिड को जाएगी। रात में ग्रिड से उपभोक्ता बिजली लेंगे। यदि खपत से अधिक बिजली बेचते हैं तो बिजली कंपनी आपको पैसा देगी।

36 हजार प्रति किलोवाट देना होगा लगाने का शुल्क : सोलर लगाने के लिए चयनित उपभोक्ताओं को करीब 36 हजार रुपए प्रति किलोवाट शुल्क देना होगा। 1 से 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर लगाने पर 65 फीसदी अनुदान मिलेगा। साउथ बिहार के उपभोक्ता कंपनी की वेबसाइट http://sbpdcl.co.in और नॉर्थ बिहार के उपभोक्ता वेबसाइट http://nbpdcl.co.in के माध्यम से अब भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 500 रुपए लगेगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 31.1.2023)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296